646
8/10/12

खण्ड : 4 संख्या : 6

दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(चतुर्थ सत्र)

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

बुधवार, दिनांक : **20 मार्च 1991 ई०**

15. श्री यादव सिंह, चकबंदी पदाधिकारी, डुमरा, 23 जुलाई 1986।

16. श्री देवचन्द्र सिंह, चकबंदी पदाधिकारी, पुपरी, 11 मार्च 1987।

(2) कार्मिक विभाग के संपर्क सं० 1541, दिनांक 6 फरवरी 1982 में यह प्रावधान है कि किसी स्थान या किसी जिला में किसी पदाधिकारी का पदस्थापन 5 साल से ज्यादा नहीं होगा। 5 साल से ज्यादा पदाधिकारियों का स्थानान्तरण कार्मिक विभाग द्वारा कर दिया गया है। क्रमांक 3 का स्थानान्तरण किया जा रहा है। राजस्व एवं भू० सु० विभाग/ग्रामीण विकास विभग के अन्तर्गत पदस्थापित पदाधिकारी को स्थान्तरित करने हेतु संबिंधित विभाग को कार्मिक विभाग के पत्र सं० 4840 दिनांक, 4 मई 1990 एवं स्मार सं० 9975, दिनांक 12 जून 1990 द्वारा निर्देश दे दिया गया है। क्रमांक 1 की आसन्न सेवा-निवृत्ति को देखते हुए इनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई

झ-140. श्री कृष्ण चन्द्र प्र० सिंह : क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, मानिक चौक, सीतामढ़ी के सहायक शिक्षक श्री प्रमोदानंद झा का स्थानान्तरण राजकीयकृत उ०

विद्यालय, मोरसंड (सीतामढ़ी) में सहायक शिक्षक के पद पर वर्ष 1989 में दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं और दूसरे राजकीयकृत उ॰ विद्यालय में उनके पदस्थापन का प्रावधान नहीं है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार जांच कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

प्रभारी मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग : (1) उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि श्री प्रमोदानन्द झा का समंजन निदेशक (मा॰ शिक्षा॰)-सह-संयुक्त सचिव के ज्ञापांक 838, दिनांक 13 जुलाई 1988 द्वारा किया गया है।

यह सही नहीं है कि शिक्षक का समंजन नाजायज ढंग से किया गया है। प्रोजेक्ट उ॰ विद्यालय से राजकीयकृत उ॰ विद्यालय में स्थानान्तरण या समंजन पर रोक नहीं है क्योंकि दोनों एक ही कोटि के विद्यालय हैं।

(2) नियमानुसार शिक्षक का समंजन किया गया है। अतः दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता है।

सड़क पूरा कराना

च-21. श्री कृष्ण चन्द्र प्रसाद सिंह : क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

क्या यह बात सही है कि जिला योजना द्वारा मुंगेर जिला अन्तर्गत सविकपुर दामोदरपुर को लखीसराय